न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 153/2016 **दायरा दिनांक : 16.08.2016**

उनवान

1– घनश्याम वल्द रत्ता, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– कल्याण वल्द घनश्याम, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– रूकमा बाई पत्नी घनश्याम, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

प्रभू वल्द गोविन्दा, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 102/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रावधानों की अनदेखी कर कानूनी प्रावधानों की प्रक्रिया अपनाये बिना ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 206 रकबा 12 बिस्वा कुल 1 बीघा आराजी के मामले में रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर टी ए डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में चल रही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को अपीलांट की सहमति के बिना ही राजस्व अभियान कैम्प देवरीकलां पर दिनांक 30.06.2016 को सुनवाई के लिये रख ली , बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम करते हुए बाद साक्ष्य निर्णय करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट स्वयं की साक्ष्य भी नहीं ली न गवाहान पेश किये गये । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में ही खारिज करना चाहिए था । विवादित आराजी पर अपीलांट का पूर्व बंटवारे के मुताबिक 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादी खातेदार होने के आधार पर रेस्पोडेंट वादी का वाद डिक्री कर दिया जबकि राजस्व अभियान में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रभूलाल ने उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

मे दावा किया था जिसमें हमें पक्षकार (घनश्याम–अपीलांट) बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.03.2016 में अंकित है कि पत्रावली पेश हुई वकील फरीकेन उपस्थित । जवाबदावा अप्राप्त अब पेश करे । पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 09.05.2016 पेश हो । दिनांक 09.05.2016 को पत्रावली पेशी में नहीं लगी दिनांक 30.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत देवरीकलां पर पेश हुई । जिसमें वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी अनुपस्थित । प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की शहादत नहीं ली, दस्तावेजात को एक्जीविट नहीं करवाया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 1990 पेज 425 की नजीर पेश की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया । उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान देवलीकलां में निर्णय पारित किया । वादी व प्रतिवादीगण को मजमेआम में तलब किया गया । प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार रेस्पोडेंट है । मजमेआम में जानकारी करने पर रेस्पोडेंट के खाते की भूमि पर अपीलांट द्वारा कब्जा किया जाना बताया गया है । अतः उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा रेस्पोडेंट की भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने से बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Ind/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाफ्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– घनश्याम वल्द रत्ता, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– कल्याण वल्द घनश्याम, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– रूकमा बाई पत्नी घनश्याम, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

प्रभू वल्द गोविन्दा, जाति लोधा, निवासी ग्राम गोरधनपुरा उर्फ कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 153/2016 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
मु.द.नं 102/दावा/2015 निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – 30–06–2016

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह 09 सन् 2020

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 28 माह 09 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.